245

संख्या– 321 /XV-3/2016-08(06)/2014(बजट)

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 09 अगस्त, 2016**

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत "पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत" धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–592/आदर्श म०ता०नि०यो०/2016–17, दिनांक 04 अगस्त, 2016 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847 /XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित कुल धनराशि **₹ 30.00 लाख** में से **₹ 9.00 लाख** अवमुक्त किये जाने के उपरान्त **अवशेष धनराशि ₹ 21.00 लाख** के सापेक्ष **₹ 21.00 लाख (₹ इक्कीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही उक्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निदेशक, मत्स्य द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार वितरित करत हुऐ आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

क्रमशः......2

6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जायेया।

7. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/ लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8. **उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के भौतिक/वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने उपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय की जायेगी।**

9. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुदान संख्या—28 में लेखाशीर्षक—2405—मछलीपालन—00—आयोजनागत—101—अन्तर्देशीय मछली पालन—02—पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश के संख्या—847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,
9/8/2016

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या—321 ( )/XV-3/2016-08(06)/2014(बजट),तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. **महालेखाकार**, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. **मण्डलायुक्त**, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. **जिलाधिकारी**, अल्मोड़ा/चम्पावत/बागेश्वर/पिथौरागढ़/नैनीताल/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून।
4. **वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी**, जनपद अल्मोड़ा/चम्पावत/बागेश्वर/पिथौरागढ़/नैनीताल/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. **निदेशक**, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. **निदेशक**, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

क्रमशः......3

शासनादेश सं०–321 /XV-3/2016-08(06)/2014, दिनांक 09 अगस्त, 2016 का संलग्नक

पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवशेष धनराशि ₹ 21.00 लाख के सापेक्ष वितरण तथा भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	भौतिक लक्ष्य (तालाब निर्माण, प्रति यूनिट 0.02 है०)	वित्तीय लक्ष्य (धनराशि रू० लाख में)
1.	अल्मोड़ा	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
2.	चम्पावत	02 यूनिट (0.04 हैक्टेयर)	3.00
3.	बागेश्वर	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
4.	पिथौरागढ़	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
5.	नैनीताल	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
6.	चमोली	02 यूनिट (0.04 हैक्टेयर)	3.00
7.	पौड़ी	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
8.	रूद्रप्रयाग	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
9.	उत्तरकाशी	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
10.	टिहरी	02 यूनिट (0.04 हैक्टेयर)	3.00
11.	देहरादून	01 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1.50
योग		**14 यूनिट (0.28 हैक्टेयर)**	**21.00**

9/8/2016

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव